न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–293/2021/223 आर.टी.एक्ट (2021/293)

1. श्री मालसिंह पुत्र श्री राजसिंह, आयु 40 वर्ष
2. श्री किशनसिंह पुत्र श्री राजसिंह, आयु 35 वर्ष
3. श्री गोपालसिंहपुत्र श्री राजसिंह, आयु 33 वर्ष, समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्री ओमसिंह दत्तक पुत्र स्व0 श्री होशियारसिंह, आयु 35 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर–राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा दिनांक 28.01.2016 राजस्व वाद संख्या 64/2011 में पारित किया गया।

उपस्थितः–

1. श्री, मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री, विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02
3. रेस्पोडेंट संख्या 01 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः– 06.12.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 64/2011 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 2410, 2414, 3346, 3392, 3393, 3394, 3397, 3402 किता 8 रकबा 2.62 की आराजी के मूल खातेदार होशियार सिंह पुत्र गिरवर सिंह थे। होशियार सिंह के कोई संतान नहीं होने से उन्होंने रेस्पोडेंट को जरिए पंजीकृत गोदनामा दिनांक 30.09.99 को गोद लिया था एवं अपने जीवन काल में होशियार सिंह ने रेस्पोडेंट को सामाजिक रीति रिवाज अनुसार संपूर्ण क्रियाकर्म सम्पन्न करते हुए गवाहान के समक्ष गोद पुत्र के रूप में स्वीकार किया। उक्त आराजी होशियारसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

की मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेंट के नाम दर्ज करने के बजाए गैर कानूनी तरीके से अपीलार्थी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज कर दी। उक्त इंद्राज के आधार पर अपीलार्थी आराजी मुतनाजा पर दखलंदाजी कर रहे है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदारी रेस्पोडेंट को घोषित किया जावे। अपीलार्थीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। अपीलार्थी संख्या 1 से 3 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा जवाबकर्ता की खातेदारी में दर्ज है। मृतक होशियारसिंह द्वारा उक्त आराजी की वसीयत अपने जीवन काल में जवाब कुनन्दा के पक्ष में निष्पादित की थी। उक्त वसीयत में होशियारसिंह ने यह कथन अंकित किया था कि रेस्पोडेंट को उसके द्वारा गोद लिया गया है। किंतु उसके द्वारा पुत्र का फर्ज अदा नहीं किया गया। अतः उक्त वसीयत जवाबकर्ता के पक्ष में की गई। रेस्पोडेंट ने वसीयत को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। कब्जा अपीलार्थी का ही है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद स्वीकार कर वादी को उक्त हिस्से का खातेदार घोषित किया व तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। उक्त आशय का निर्णय प्रसारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 64/2011 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 01 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत अभिलेख प्रदर्श 3 का फौरी तौर पर अवलोकन किया है, जिसमें भूमि स्पष्टतया होशियारसिंह वल्द गिरवर सिंह के नाम दर्ज है, तथा कुछ भूमि होशियारसिंह व राजसिंह के नाम दर्ज है, तदनुसार भूमि पुश्तैनी हो इस आशय का कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, फिर भी भूमि को पुश्तैनी माना गया है, जो कि विधि की भूल है, तथा वसीयत के प्रारूप को सही सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है तदनुसार वसीयत को घोषणा के वाद में मान्य न्यायालय ने जो निरस्त किया है, वह विधि विरूद्ध है, पंजीकृत वसीयत को सिर्फ और सिर्फ निरस्त करने हेतु सिविल न्यायालय ही सक्षम है, जबकि मान्य अधीनस्थ न्यायालय ने पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामांतरण को ही निरस्त कर दिया है, तदनुसार मान्य अधीनस्थ न्यायालय वसीयत पर आक्षेप कारित करने या निरस्त करने में किसी भी रूप में सक्षम न होकर क्षेत्राधिकार से बाधित है, प्रसारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने गोदनामे को सही मानकर विधि की भारी भूल की है, जबकि मूल खातेदार होशियारसिंह ने अपनी वसीयत में गोदनामें को पृष्ठ संख्या 2 चरण संख्या 2 में अपने जीवन काल में ही निरस्त कर दिया था, यह कि मुझ लेख्यकर्ता की उम्र करीब 70 वर्ष की हो चुकी है और मैं लेख्यकर्ता अधिकतर बीमार रहता हूं और मैं कब इस नश्वर संसार को त्याग कर स्वर्ग सुधार जाऊ और मेरे स्वर्ग सुधार जाने के पश्चात मेरी उक्त संपदा बाबत किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो इस लिए मैं लेख्यधारीगण को अपने जीते जी इस विलेख के द्वारा अपना विधिक वारिस घोषित कर रहा हूं क्योंकि मेरे ईश्वर ने कोई संतान नहीं दी है

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

तथा मैने अपने वंश को चलाने बाबत श्री ओमसिंह को गोद लिया है ओमसिंह द्वारा कभी भी पुत्र के फर्ज अदा नहीं किया है, तथा सदैव मुझे हैरान व परेशान ही किया है इस लिए मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद वह मेरी किसी भी चल व अचल संपदा में अपना हिस्सा नहीं मांग सके, और ना ही मेरी संपदा बाबत किसी प्रकार का कोई विवाद ही कारित करे और अगर वह उक्त संपदा बाबत लेख्यधारीगण से किसी प्रकार का कोई विवाद मेरी मृत्यु के पश्चात करता है तो वह विधि विरूद्ध जाना व माना जावेगा। चरण संख्या 3 में वर्णित अभिलेख को एक्जिविट डी 1 के रूप में प्रदर्शित किया जाकर विशेषतया अ से बी भाग को ओमसिंह को सुनाया जाकर प्रश्न किया गया था तब उसने इसका प्रतिउत्तर यह दिया था कि यह बात सही है कि प्रदर्श डी 1 का अ से बी भाग होशियारसिंह ने लिखवाया था तथा इस गवाह ने वसीयत के समय गणपतसिंह की मौजूदगी बताई है तथा सहखातेदार राजसिंह पुत्र गिरवरसिंह की भी उपस्थिति बताई है होशियारसिंह व राजसिंह गिरवर सिंह के पुत्र थे तथा मालसिंह किशनसिंह व गोपालसिंह उसकी राजसिंह के पुत्र हैं संपदा रेस्पोडेंट के परिवार की ही है तथा उसे वसीयत द्वारा इसलिए सम्पुष्ट किया गया था कि रेस्पोडेंट कोई लाभ नहीं ले ले, अन्यथा बिना वसीयत के भी भूमि अपीलार्थी में ही समाहित होनी थी तथा ओमसिंह वर्तमान रेस्पोडेंट को गोदनामें से किसी भी रूप में लाभान्वित न होने के आशय पर ही वसीयत लिखी गई थी तदनुसार वसीयत के आधार पर भूमि अपीलार्थी के पक्ष में काफी सालों से दर्ज थी, जिसे गोदनामें के आधार पर अपास्त किया जाना न्यायोचित नहीं है, तदनुसार प्रसारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। गोदनामा पंजीकृत होने पर भी अपूर्ण है तथा विधि के सर्वमान्य सिद्धांतों की भी इसमें पालना नहीं की गई है तथा गोदनामें में गोद देने वाली माता श्रीमती सतनकंवर की आयु दर्शित नहीं है, तदनुसार विधि के मान्य सिद्धांतों की पालना नहीं की गई है, तथा गोदनामा के आधार पर सिविल न्यायालय से ही अनुतोष प्राप्त किया जाना संभावित था परंतु अकारण ही गोदनामें को विधि मान्य किया जाकर आदेशित किया गया जो अपास्त किए जाने योग्य है। रेस्पोडेंट ने अपने स्वयं के बयानों में स्वीकार किया है, कि वादग्रस्त जमीन ग्राम पंचायत की मिटिंग में दिनांक 18.9.2007 को सभी की मौजूदगी में होशियारसिंह के स्थान पर मालसिंह, किशनसिंह, गोपालसिंह के नाम चढाई हो तो जानकारी में नहीं है, तथा 2007 से लेकर 2011 तक मैंने नामांतरण की अपील व दावा नहीं किया, तथा इसी गवाह ने अपीलार्थी का कब्जा होना माना है, तथा इसे घरेलू तौर पर अपीलार्थी के पास होना स्वीकार किया है, तदनुसार प्रसारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 64/2011 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2016 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का व अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 7.4.2011 को वाद पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 5.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

5.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की तरफ से उनके अभिभाषक ने वकालतनामा पेश किया। तत्पश्चात् पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 1.7.2011 में नियत की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने जवाबदावा दिनांक 13.6.2011 को पेश किया। पेरोकार सरकार ने जवाब नही पेश कर बहस जाहिर किया। मिसल वास्ते कायमी तनकीयात दिनांक 28.7.2011 को पेश हो। दिनांक 28.7.2011 को तनकीयात कायम कर सुनाई गई जो शामिल मिसल है। तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 15.9.2011 को पेश हुई। अधिवक्ता वादी ने ओमसिंह गणपतसिंह का शपथ पत्र पेश किया। मिसल वास्ते जिरह वादी दिनांक 13.10.2011 को पेश हुई। तत्पश्चात् आगामी पेशी दिनांक में नियत रही। पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 21.1.2012 को नियत की गई। वकील वादी जिरह हेतु समय चाहते है। गवाह उपस्थित नहीं अंतिम अवसर दिया जाता है। मिसल वास्ते जिरह वादी दिनांक 12.3.2012 को पेश हो। पत्रावली दिनांक 12.3.2012 को पेश हुई। वकील प्रतिवादी ने ओमसिंह से जिरहपूर्ण की जो शामिल मिसल है। पत्रावली वास्ते शेष जिरह वादी दिनांक 10.4.2012 को पेश हो। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 11.5.2012 को पेश हुई। वकील वादी जिरह हेतु अवसर चाहते है। गवाह जिरह हेतु उपस्थित नहीं न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाता है। मिसल वास्ते जिरह वादी दिनांक 11.6.2012 को पेश हो। तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 23.8.2012 को नियत की गई। उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित वादी की गवाह वास्ते जिरह द्वारा प्रतिवादी गवाह जिरह हेतु उपस्थित नहीं वादी समय चाहते है। प्रतिवादी का कथन है कि गवाह जिरह के लिए उपस्थित नहीं अतः जिरह नहीं की जावे। गवाह गणपतसिंह वास्ते जिरह दिनांक 3.9.2012 को पेश हो अंतिम अवसर। पत्रावली दिनांक 11.9.2012 को पेश हुई। वकील प्रतिवादी ने गणपतसिंह से जिरह पूर्ण की साक्ष्य वादी पूर्ण हुई। मिसल वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 1.11.2012 को पेश हो। पत्रावली दिनांक 1.11.2012 को पेश हुई। वकील प्रतिवादी ने मालसिंह का शपथ पत्र पेश किया मिसल वास्ते जिरह प्रतिवादी दिनांक 20.11.2012 को पेश हो। पत्रावली दिनांक 20.11.2012 को पेश हुई। वकील वादी ने मालसिंह से जिरह पूर्ण की जो शामिल मिसल है। पत्रावली शेष साक्ष्य प्रतिवादी अंतिम अवसर दिनांक 29.11.2012 को पेश हो। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 7.1.2013 को नियत की गई। वकील प्रतिवादी ने गोपालसिंह व किशनसिंह के शपथ पेश किए जिनकी प्रति वकील वादी को दिलाई गई तथा वकील वादी ने दोनों गवाहों से जिरह पूर्ण की। वकील प्रतिवादी अब आगे कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं। अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाती है तथा वकील उभयपक्ष ने लिखित बहस प्रस्तुत करना जाहिर किया। तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 17.6.2014 को नियत की गई। वकील प्रतिवादी बहस हेतु अवसर चाहते है। अंतिम अवसर दिया जाकर मिसल वास्ते बहस दिनांक 26.6.2014 को पेश हो। तत्पश्चात पत्रावली में दिनांक 28.1.2016 नियत की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई निर्णय लिखवाया गया जो शामिल मिसल है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।

बाद अवलोकन तनकी संख्या 01 में आराजी मुतनाजा **वर्किंग खसरा नम्बर 1967/ 02–12–0, 1974/ 2–15–0, 1971/2–0–10, 1964/5–0–10, की आराजी अकेले होशियार सिंह के नाम व वर्किंग खसरा नम्बर 1191/1–7–10, 1192/2–8–10, होशियार सिंह व राजसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। होशियार**

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

सिंह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 30.09.1999 को जरिये पंजीकृत गोदनामा वादी को गोद लिया था। होशियार सिंह के कोई संतान नहीं थी, उक्त दोनो तथ्यों का खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा भी नहीं किया है। वादी को गोद लेने की दिनांक से वादी होशियार सिंह का जायंदा पुत्र माना जायेगा। होशियार सिंह की समस्त चल अचल संपत्ति में वादी को वो ही अधिकार प्राप्त होंगे जो एक जायंदा पुत्र को होते है। प्रतिवादीगण का कथन है कि होशियार सिंह ने अपने जीवन काल में उनके पक्ष में आराजी मुतनाजा प्रथम वसीयतनामा दिनांक 29.12.2001 तथा द्वितीय वसीयतनामा दिनांक 4.11.2003 को वसीयत कर दी थी क्यों कि वादी ने अपने पुत्र के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया था किन्तु उक्त कथन विधिमान्य नहीं है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है, जिस पर वादी का दत्तक ग्रहण की दिनांक से ही हक व अधिकार आरम्भ हो जाता है। उसके दत्तक पिता को पुश्तैनी आराजीयात से वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है। होशियार सिंह ने उक्त पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त भी नहीं करवाया है। वादी ओमसिंह ने अपने बयान में बताया है कि गोद लेने के बाद उसका होशियार सिंह से उसका कोई लड़ाई झगडा नहीं हुआ यह कहना गलत है कि मैंने पुत्र धर्म का पालन नहीं किया है। गवाह गणपत सिंह भी अपने बयान में स्वीकार करता है कि वादी को होशियार सिंह ने गोद लिया था साथ ही प्रतिवादी माल सिंह अपने बयान में स्वीकार करता है कि होशियार सिंह की पगडी वादी के बंधी थी। ओमसिंह के अलावा किसी को गोद नहीं लिया था, एवं आराजी मुतनाजा दादा–परदादा की है।

उक्तानुसार सिद्ध होता है कि आराजी मुतनाजा होशियार सिंह की पैतृक थी। उसके द्वारा ओमसिंह को गोद लिया। आराजी मुतनाजा जरिये प्रथम वसीयतनामा दिनांक 29.12.2001 तथा द्वितीय वसीयतनामा दिनांक 4.11.2003 नामान्तकरण के प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई है। जो त्रुटि पूर्ण है। अतः पुश्तैनी आराजी की प्रथम वसीयतनामा दिनांक 29.12.2001 तथा द्वितीय वसीयतनामा दिनांक 4.11.2003 वसीयत विधिमान्य नहीं होने से वादी आराजी मुतनाजा पर होशियार सिंह के हिस्सें की आराजी पर खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

हमारे द्वारा इस संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमने पत्रावली के अवलोकन से पाया था कि दिनांक 30.09.1999 को होशियार सिंह पुत्र स्व0 श्री गिरवर सिंह द्वारा ओमसिंह पुत्र स्व0 श्री मदन सिंह को जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा द्वारा गोद लिया गया था, तथा होशियार सिंह द्वारा प्रथम वसीयतनामा दिनांक 29.12.2001 तथा द्वितीय वसीयतनामा दिनांक 4.11.2003 दो रजिस्टर्ड वसीयतनामा अपने भाई के पुत्रों क्रमशः मालसिंह, किशनसिंह व गोपालसिंह पुत्रान राजसिंह के नाम किया गया है जिसमें सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी होशियार सिंह की मृत्यु उपरांत मालसिंह, किशनसिंह व गोपालसिंह पुत्रान राजसिंह को दिया जाना स्वीकार किया है। जिसमे दत्तक पुत्र ओमसिंह के हस्ताक्षर है।

मालसिंह द्वारा स्वयं भी अपने बयानों में यह बताया है कि वादग्रस्त आराजी दादा–परदादा की है। तथा भूअभिलेख निरीक्षक ने भी अपनी जांच में भूमि स्वअर्जित नहीं होने का कथन किया है। इस प्रकार उक्त आराजी दस्तावेजी साक्ष्यों एवं बयानों के आधार पर पुश्तैनी सिद्ध होती है, किन्तु विधिक बिन्दु यह है कि प्रथम वसीयतनामा दिनांक 29.12.2001 तथा द्वितीय वसीयतनामा दिनांक 4.11.2003 पंजीकृत है जिसे किसी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

नहीं करवाया गया है। यदि होशियार सिंह द्वारा उक्त प्रथम वसीयतनामा दिनांक 29.12.2001 तथा द्वितीय वसीयतनामा दिनांक 4.11.2003 वसीयत की गई है तो वह अपने हिस्से तक ही वसीयत कर सकता था दत्तक पुत्र के हिस्सें को छोडते हुए। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीकृत गोदनामें को प्राथमिकता देते हुए प्राथमिक डिक्री जारी कर वादगस्त आराजी सम्पूर्ण दत्तक के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जो विधि सम्मत नहीं है। जबकि विधि अनुसार प्रथम वसीयतनामा दिनांक 29.12.2001 तथा द्वितीय वसीयतनामा दिनांक 4.11.2003 वसीयत पंजीकृत है जिस पर किसी प्रकार के संदेह की स्थिति नहीं है। गोदनामा तथा वसीयत दोनों ही पंजीकृत दस्तावेज हैं। पुश्तैनी आराजीयात के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा होशियार सिंह की सम्पूर्ण आराजीयात को ओमसिंह के नाम दर्ज कर दिया जबकि गोदनामा एवं प्रथम वसीयतनामा दिनांक 29.12.2001 तथा द्वितीय वसीयतनामा दिनांक 4.11.2003 वसीयत दोनो ही वैद्य दस्तावेज हैं। रजिस्टर्ड गोदनामे के अनुसार होशियार सिंह के जीवित रहते हुए जितना हिस्सा पुश्तैनी आराजीयात पर दत्तक पुत्र ओमसिंह के हिस्से में आता है उतने का ही विधिक रूप से खातेदारी अधिकार प्रदान किए जा सकते थे। दोनों वसीयतनामा प्रथम वसीयतनामा दिनांक 29.12.2001 तथा द्वितीय वसीयतनामा दिनांक 4.11.2003 पंजीकृत है जिस पर स्वयं ओमसिंह के अंगूठा निशानी है तथा पंजीकृत वसीयतनामा वैद्य दस्तावेज है। होशियारसिंह के जीवित रहते हुए पुश्तैनी आराजीयात में से अपने हिस्से की वसीयत करने हेतु वह स्वतंत्र था तथा विधिक रूप से होशियारसिंह के जीवित रहते हुए होशियारसिंह के हक एवं हिस्से जो कि जरिए पंजीकृत वसीयतनामा मालसिंह, किशनसिंह, गोपालसिंह पुत्रान राजसिंह को दिया जा सकता था। गोदनामा तथा दोनों ही प्रथम वसीयतनामा दिनांक 29.12.2001 तथा द्वितीय वसीयतनामा दिनांक 4.11.2003 वसीयतनामे पंजीकृत होकर वैद्य दस्तावेज हैं जो कि किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा आदिनांक तक निरस्त नहीं कर आदिनांक तक प्रभाव में है। अतः तीनों ही पंजीकृत दस्तावेज क्रमशः गोदनामा, प्रथम वसीयतनामा दिनांक 29.12.2001 तथा द्वितीय वसीयतनामा दिनांक 4.11.2003 अपीलांट्स तथा रेस्पोडेंटस के खातेदारी हक/हिस्से तक प्रभाव में हैं अधीनस्थ न्यायालय को भी उक्त तीनों दस्तावेज का गहनता से अवलोकन कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर गौर नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त पत्रावली के अवलोकन से यह भी तथ्य सामने आते है कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवाद–पत्र (काउन्टर क्लेम) भी प्रस्तुत किया गया था। जिसका निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया।

अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित करते समय विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 64/2011 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2016 को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह पत्रावली पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का पुनः अवलोकन करते हुए प्रकरण में सभी विधिक बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का पुनः गुणावगुण पर नए सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

06/12/2024
(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner